C M Y K

रायगढ़, शुक्रवार
28.04.2017
वैशाख शुक्ल 2
पृष्ठ 8, मूल्य 3

साप्ताहिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

Web: www.nyaysakshi.com

3 | शासन ने लिया संज्ञान...
6 | बहु बेटे के कैरियर.... मनोरंजन

» वर्ष-1 » अंक-07 »

खबर ए खास

चीन को भारत का करारा जवाब

नई दिल्लीः चीन द्वारा अरूणाचल प्रदेश में छह स्थानों का नाम बदलने पर आपत्ति जताते हुए भारत ने आज कहा कि पड़ोसी देश के स्थानों का नाम बदल देने से अवैध कब्जा वैध नहीं हो जाता है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने इस मुद्दे पर कहा कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, उन्होंने कहा पड़ोसी देश के स्थानों का नाम बदलने से अवैध कब्जा वैध नहीं बन जाता है।

धोनी को राहत

उच्चतम न्यायालय ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को भगवान विष्णु के रूप मे कथित रूप से पेश करने के मामले में उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने पत्रिका के संपादक के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत निरस्त करते हुए कहा कि धार्मिक भावनायें भड़काने का मामला नहीं बनता है। न्यायालय ने कहा कि यदि क्रिकेटर पर मुकदमा चलाया गया तो यह न्याय का उपहास करना होगा क्योंकि उसने किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया।

बरखा शुक्ला का इस्तीफा, बोलीं राहुल पार्टी अध्यक्ष बने तो होगा डिजास्टर

दिल्ली म एमसीडी चुनावों स पहल कांग्रेस को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली के बाद अब दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा बरखा शुक्ला सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है, गुरुवार को बरखा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेज दिया है, हालांकि उन्होंने फिलहाल पद छोड़ी है पार्टी नहीं, यह साफ नहीं है कि वह किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगीं या नहीं।

पंचकुला एजेएल मामला ED ने वोरा और हुड्डा से की पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2005 में पंचकुला में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के प्रकाशक एजेएल को एक प्लॉट के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में धन शोधन की जांच के संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से पूछताछ की।

सोनू निगम को मिला कुमार विश्वास का साथ, बोले-कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता

अज़ान की ऊंची आवाज़ों पर आपत्ति दर्ज कर विवाद में घिरे और सोनू निगम को अब कई लोगों को साथ मिलता जा रहा है, सिंगर मीका ने उन्हें भले ही घर बदलने की सलाह दे डाली हो लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने सोनू निगम का खुलकर साथ दिया है, उन्होंने सोनू निगम को इसके लिए शाबासी दी है।

आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

देश में बड़े हमले की योजना बना रहे ISISके 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, यूपी ATS का 5 राज्यों की पुलिस के साथ ज्वॉयंट ऑपरेशन, उत्तर प्रदेश की आतंकवाद रोधी दस्ता एटीएस ने पांच राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जिसके तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

लालबत्ती पर मोदी की बड़ी चोट मिला योगी का साथ, बोले. हमारे लिए हर भारतीय VIP

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल बत्ती कल्चर को उठाए गए कदम की चारों तरफ तारीफ हो रही है, ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को लेकर पीएम के कसीदे पढ़े, योगी ने ट्वीट किया कि लालबत्ती हटाने के केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हम स्वागत करते हैं, हर भारतीय VIP हैं, लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय पथ अंत्योदय।

स्त्री-प्रताड़णा पर अब तक ना तो संज्ञान, ना ही एफआईआर

लिखित में दो-दो बार शपथ-पत्र के साथ शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं करती कार्यवाही?

सामाजिक न्याय को दिए अपने आवेदन में मोबाईल नं0 के साथ पीड़िता ने बताया कि - मैं ''श्रीमती अर्चना दुबे'' पत्नी श्री अमित दुबे, उम्र 30 वर्ष, निवासी हाल मुकाम श्री अनिल उपाध्याय, कसेरपारा, उत्तर चक्रधरनगर, रायगढ़, छ0ग0 पिन 496001, की रहने वाली होकर आपके समक्ष शपथ-पत्र के साथ यह स्मरण-पत्र प्रस्तुत करती हूँ, विदित हो कि मेरे द्वारा पूर्व में भी आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता ने कहा - कि मेरा मायका रायगढ़ में है, मेरे पिता एवं परिवार पिछले 30 साल से यहीं निवास कर रहे हैं। मेरा विवाह हिन्दु रीति-रिवाज के साथ दिनॉक 02/12/2010 को मेरे पैतृक ग्राम सिंधोरा बाजार पो0 आ0 चैनपुर जिला वाराणसी उत्तरप्रदेश से सम्पन्न हुआ था। हम मिताश्रा से संचालित है। मुझे एवं मेरे परिवार को बताया गया था कि मेरे पति अमित दुबे एन0टी0पी0सी0 ऊँचाहार में अधिकारी हैं और उनकी 25000/- रु0 प्रति माह की आमदनी है। साथ ही यह भी कि उनके कई मकान दुकान एवं ढेरो अचल सम्पत्ति ऊँचाहार में है। जो कि सब झूठ था, जो कि शादी के कुछ समय के बाद ही मुझे ज्ञात हो गया। अपने आवेदन में उन्होने बताया कि मेरे परिवार ने मेरे सास-ससुर एवं पति के द्वारा उक्त के सापेक्ष में दहेज की मांग की जो कि अच्छे रिश्ते के कारण मेरे पिता ने उधार करके एवं लोन लेकर पूरी की। विवाह के दो महीने तक मेरे पति काम पर नहीं गए तो मुझे लगा कि विवाह हेतु छुट्टी लिए होंगें, लेकिन मुझे कुछ शंका होने लगी। तीसरे माह में मेरे द्वारा घर-खर्च के लिए अपने पति को अपनी माता से रकम मांगते हुए देखा, जो कि मुझे बेहद विचित्र लगा, मैंने अपने पति से पूछा कि आप माताजी से पैसे क्यों मांग रहे हैं, जिसपर उन्होने कहा कि फिर किस से मांगू , पिताजी तो मुझे रकम देते नहीं है। मेरे लिए यह बेहद विचित्र बात थीं, जो व्यक्ति एन0टी0पी0सी0 में उच्चाधिकारी है, उसे भला अपने माता-पिता से खर्च के लिए रकम मांगने की क्या जरुरत है? मैंने इसपर अपनी सास से बात की तो उन्होने कहा कि अमित अभी कुछ नहीं करता है, उसे एन0टी0 पी0सी0 में लगवाना है, तेरे पिताजी से बोल कि 10 लाख रुपये ले ले, तो अपना काम हो जाएगा। मैं आसमान से गिरी, मुझे लगा कि मुझे एवं मेरे पूरे परिवार के साथ जालसाजी हुई है, मैने कहा मतलब आपने झूठ कहा तो मेरी सास बिमला देवी आगबबूला हो गई, और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, जिससे मेरे ससुर, ननद एवं देवर आ गए, इसपर मुझे सब मिलकर गाली-गलौज करते हुए मारने लगे, मैं तो वैसे ही सच्चाई जानकर शाक्ड थीं,मार खाती रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मुझे बुरी तरह मार-पीट के उन लोगों ने मुझे रसोई में बंद कर दिया, मेरा मोबाईल छीन लिया। इसबीच मेरे पति अमित भी आ गए और उन्होने भी मुझे बाहर निकालने अथवा बात करने की कोई कोशिश मुझे से नही की। पूरा दिन मैं बंद रही, जब मैंने कहा कि मुझे बाहर निकालो नहीं तो मैं रसोई में ही गंदा कर दूँगी तो मुझे बाहर निकाला गया, जिसके बाद किसी डाक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप कराया और कहा गया कि पैर फिसल गया, गिर गई है। मैं तब भी बेहद शाक्ड थीं। मैंने कुछ दिन बाद इस घटना को अपने पिता एवं परिवार को बताया। इसके कुछ दिन बाद पुनःभावनात्मक रुप से मुझे कहा जाने लगा कि दस लाख रुपये अपने पिताजी से मांग लो तुम्हारे पति की नौकरी हो जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जिसपर विचार करके मैंने अपने पिता से उक्त सम्बंध में चर्चा की तो उन्होने मुझे कहा कि मैं केवल पॉच लाख का इंतजाम कर सकता हूँ , जो मेरे द्वारा बताए जाने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि ठीक है, इतना तो मंगाओ , जिसपर मेरे पिता ने कर्ज लेकर पॉच लाख रुपये दिए। कुछ दिन सब सामान्य रहा और मेरे पति ने टेम्पररी जॉब ज्वाईन झकर लिया।

इसके बाद पुनः प्रताड़ित करना शुरु हो गया, मुझे मेरे कमरे से अलग रसोई में रखा जाना लगा, बात-बात पर गंदी-गंदी गालियॉ दी जाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है, तब मैंने जानना चाहा तो बताया गया कि नौकरी परमनेंट करने के लिए दस लाख रुपये लगेगें, अपने पिताजी को बोलो!! मैंने मना कर दिया तो मेरी लात-घूसे से जानवरो की तरह पिटाई की गई, जिससे मेरी तबियत खराब हो गई।

मेरे ससुराल में रहने के दौरान मेरे पति ने मुझसे मार-पीट करते हुए धक्का दिया था, जिससे मैं हैण्डपंप के उपर गिर गई थीं, जिससे मेरे गंभीर चोट लगी, जिसका ईलाज भी मेरे ससुरालवालों के द्वारा नहीं कराया गया। केवल, मेरी तबियत खराब होने की बात मेरे पिता को बताई गई, जिसपर 25 अप्रेल 2015 को मेरे चाचा अशोक उपाध्याय मुझे लेने आए , मेरे शरीर में आई चोटो को देखकर उन्होने पूछा तो मैने शर्म से झूठ कह दिया कि ''गिर गई थी''। उनके साथ मैं रायगढ़ आ गई। तब से मैं अपने माता-पिता के घर मे ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आरोपियों के विरुद्ध दहेज मांगने एवं शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के आपराधिक कृत्य की शिकायत दर्ज हो, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे मैं और ज्यादा प्रताड़ित हो रही हूँ।

:: सामाजिक न्याय संघ ने प्रकरण की गंभीरता के सापेक्ष में तत्काल कार्यवाही करते हुए पूर्व में भेजे अपने निवेदन के सापेक्ष में स्मरण-पत्र को तत्काल प्रभाव से निम्न को प्रेषित किया है ::

1/ श्रीमान् राज्यपाल महोदय, राजभवन, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0। 2/ श्रीमान् मुख्यमंत्री महोदय, छ0ग0 शासन, रायपुर, छ0ग0। 3/ श्रीमान् मुख्य न्यायामूर्ति , माननीय उच्चतम् न्यायालय (सु0को0), नई दिल्ली, इंडिया। 4/ श्रीमान् मुख्य न्यायामूर्ति , माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ0ग0। 5/ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक कळच् ैपत, छ0ग0 शासन, रायपुर, जिला रायपुर, छ0ग0। 6/ श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ0ग0। 7/ श्रीमान् एस0पी0 महोदय, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0। 8/ श्रीमान् एस0पी0 महोदय, रायबरेली, जिला रायबरेली, उ0प्र0। 9/ श्रीमान् थाना प्रभारी, थाना ऊँचाहार, जिला रायबरेली, उ0प्र0। 10/ श्रीमान् थाना प्रभारी, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0।

जिसपर तत्काल कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई है।

संज्ञान हेतु क्या होने चाहिए साक्ष्य?

मेरे विरुद्ध जो मानसिक एवं शारीरिक घरेलू हिंसा मेरे ससुरालवालों के द्वारा की गई है, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं -- 1/ हाथ, जूता, बेल्ट से मारना 2/ ससुर के साथ नाजायज सम्बंध होने का लांछन लगाना 3/ छोटे घर से आई है, दहेज नहीं लाई है कहना 4/बांझ है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, कहना 5/ बाहर नहीं निकलने देना बंद करके रखना 6/ कम पढी लिखी है, मोटी है कहना 7/ माता-पिता को ले कर उपहास करना 8/ पति की दूसरी शादी कराने के बारे में कह-कह कर मानसिक रुप से प्रताड़ित करना 9/ बुनियादी जरुरतों को पूरा नहीं करना 10/ रसोई में जाने से रोकना 11/ बारंबार दहेज में 10 लाख की मांग करना 12/ स्त्रीधन पर कब्जा करना आदि..जो कि आपराधिक प्रकरण हेतु सक्षम एवं पुष्टिकारक साक्ष्य है जिसके बाद भी कार्यवाही का नहीं होना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिए प्रकरण को लिखित में माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी निर्णयों को भी सामाजिक न्याय संघ के द्वारा पीड़िता के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है जो कि इस प्रकार हैं -

a/ If wife is residing in said location she can file complaint in local Police station. **b/** The Police has authorities u/s 156 Cr.P.C. to investigate any cognisible case for which FIR is lodged. **c/** At the stage of investigation, there is no question of interference u/s 482 of Cr.P.C. of the ground that the investigation officer arrives at the conclusion that the cause of action for lodging FIR has not arisen within the teritorial jurisdiction, then he/she is required to submit a report accordingly u/s 170 of Cr.P.C. and to farward the case to the Magistrate empowered to take cognizence of the offence.

बाबरी मस्जिद केस - बड़े नेताओ को अपराध साबित होने पर हो सकती है सजा

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार, 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया था, जिसके बाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य वीवीआईपी पर जिन आरोपों में सुनवाई होनी है, उनमें दो से पांच साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। **एक नज़र एक साथ - अक्तूबर 1993:** सीबीआई ने आडवाणी और अन्य पर साजिश का आरोप लगाते हुए एक समग्र आरोप पत्र दायर किया। **चार मई 2001:** विशेष सीबीआई अदालत ने आडवाणी जोशी उमा भारती बाल ठाकरे और अन्य के खिलाफ कार्यवाही बंद की। **दो नवंबर 2004:** सीबीआई ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही बंद किए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के समक्ष तकनीकी आधार पर चुनौती दी। **20 मई 2010:** उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की और कहा कि सीबीआई की पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं। **फरवरी 2011:** सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची, छह मार्च 2017, उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को बहाल करने पर विचार कर सकता है। **21 मार्च 2017:** उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए ताजा प्रयासों का सुझाव दिया। **06 अप्रैल 2017:** उच्चतम न्यायालय ने समय बद्ध तरीके से मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा और सीबीआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। **19 अप्रैल 2017:** उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आडवाणी जोशी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल किया और अति विशिष्ट लोगों और कारसेवकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई को एकसाथ जोड़ दिया।

गृह सचिव बोले - माल्या के जल्द प्रत्यर्पण पर जोर देंगे

नई दिल्लीः ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली गृह सचिवों की बैठक में भारत भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित किए जाने के लिए जोर देगा, आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान माल्या के प्रत्यपंण का प्रांक्रया जल्द पूरा किए जाने का मुद्दा उठाएंगे। लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड ने विजय माल्या को किया गया था गिरफ्तार, जिसपर उनको जमानत मिल गई है। ब्रिटेन प्रवास के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच आतंकवाद विरोधी लड़ाई में सहयोग तथा कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के गृह सचिवों की बैठक में परस्पर कानूनी सहायता संधि से सबंधित मुद्दों, खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करने और वीजा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी।

कोर्ट जाऐगे BSF के बर्खास्त जवान तेजबहादुर

नई दिल्लीः खराब खाने को लेकर सुर्खियों में आए बीएसएफ के जवान को बर्खास्त करने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, विरोधी दलों ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाए हैं कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी छीन रही है, उधर बर्खास्त जवान ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बता दें कि जम्मू के पूंछ में एलओसी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान तेज बहादुर यादव ने इस साल की शुरुआत में अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों को दिए जा रहे खराब खाने को जनता को दिखाया था। वीडियो वायरल होते ही केंद्र सरकार ने इस मामले पर जांच बैठा दी थी, बीएसएफने अपनी जांच में यादव की शिकायतों को खारिज कर दिया था, उल्टा सेना ने तेजबहादुर के खिलाफ अनुशासन तोड़ने की जांच शुरू कर दी थी, पिछले दिनो सेना ने इस जवान को बर्खास्त कर दिया। सेना से बर्खास्त होने के बाद तेजबहादुर गुरुवार को हरियाणा के रेवाड़ी स्थित अपने घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि वे इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे और सेना के इस फैसले के खिलाफ सरकार और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पेंशन और रिटारयमेंट के कागजात तैयार करने के लिए कहा गया, लेकिन अब बर्खास्त कर दिया, अब उन्हें पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलेगा, तेज बहादुर का ये भी दावा है कि उन्हें 3 जवानों का सपोर्ट है, लेकिन साथ आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। उधर, तेजबहादुर पर की गई इस कार्रवाई को लेकर राजनीति में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि सेना के अपने अलग कायदे-कानून होते हैं, उनका अलग अनुशासन होता है, वे इस मामले का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने इसे सरकार का सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा है, उन्होंने कहा कि तेज बहादुर ने व्यवस्था पर सवाल उठाया था, उल्टा उसे बर्खास्त कर दिया गया, व्यवस्था की पोल खोलने वाले एक सैनिक पर सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि चुपचाप सरकार के नाम की माला जपते रहो अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी छीन रही है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र रायगढ़ एवं जशपुर जिले हेतु रिपोर्टर/संवाददाता तत्काल संपर्क करें

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
श्रीराम कॉलोनी,स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास,रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन * हेडलबर्ग * से 4 कलर की प्रिंटिग होती है।
प्रिंटिग जॉब हेतु तत्काल सम्पर्क करें

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400